प्रेस नोट
अपराध गोष्ठी
दिनांक 19.11.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सभागार मे जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ की गई सैनिक सम्मेलन/अपराध समीक्षा गोष्ठी, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कडी कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश–

अपराध गोष्ठी के दौरान थाना प्रभारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण तरीके से समयबद्ध निस्तारण करने, जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश–

गोण्डा। आज दिनांक 19.11.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा सभागार कक्ष में जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों के साथ सैनिक सम्मेलन/अपराध समीक्षा गोष्ठी की गयी। जिसका मुख्य विषय'' जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखना''। महोदय द्वारा सर्वप्रथम उपस्थित पुलिस कर्मियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी कर समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात महोदय द्वारा अपराध गोष्ठी कर विवेचना निस्तारण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थानावार विवेचनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए । महोदय द्वारा लंबित विवेचनाओं विशेषकर अनावरित अभियोगो के निस्तारण तथा इनामिया, जिलाबदर अभियुक्तों की जानकारी हासिल की गयी तथा गैंगेस्टर के प्रकरणों में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 14(1) के तहत कितने प्रकरणों में सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही, दिनांक 01.01.2025 से 31.10.2025 तक चोरी हुए वाहनों की संख्या, बरामदगी, तथा वाहन चोरी गिरोहों के अभियुक्तों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही आदि के बारे में समीक्षा की गयी तथा कितने अपराधियों के विरूद्ध एच0एस0 खोले गए, कितने अभियुक्तों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी व कितने गैंग पंजीकरण की कार्यवाही की गयी के बारे में समीक्षा की गयी। महोदय द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को ज्यादा से ज्यादा थानें पर रहकर जनसुनवाई कर पीड़ित फरियादियों की समस्याओं को सहानुभूति पूर्वक सुनने व उनका तत्काल निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी व अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, परिवहन व बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए साथ ही नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु कस्बा व ग्रामीण इलाकों में रात्रि गश्त को और अधिक प्रभावी करने, बैंक व लेनदेन वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के साथ–साथ संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने हेतु निर्देश दिए गए। पीआरवी वाहनों की सक्रियता बढ़ाए जाने एवं सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान दृश्यता, गतिशीलता, सजगता एवं सतर्कता बनाये रखने हेतु बताया गया। संवेदनशील स्थलों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, सर्राफा बाजार, कस्बा, चौराहों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों आदि महत्वपूर्ण स्थलों पर विशेष सतर्कता रखते हुए सुरक्षा हेतु प्रभावी प्रबन्ध एवं विशेष सतर्कता रखने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त महोदय द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 अभियान के तहत महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा कवच मजबूत करने, और समाज में महिलाओं के प्रति अपराध रोकने हेतु विशेष सतर्कता बरतने के साथ महिला पुलिस बीट द्वारा महिला सम्बन्धी प्रकरणों में पीड़ित परिवार से मिलकर उनका फीडबैक लेने तथा नवंबर माह के तहत यातायात नियमों का पालन, दुर्घटना नियंत्रण, वाहनों की जांच, ओवरलोडिंग रोकने, और सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी प्रदान किए गए। गोण्डा पुलिस द्वारा 01 जनवरी 2025 से अबतक गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 111 अभियुक्तों के विरुद्ध 21 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं तथा 53 नए अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है । गैंगस्टर एक्ट के 04 प्रकरणों में अपराध से अर्जित की गयी 1,23,51,800/– रू0 की सम्पत्ति जब्त की

गयी है। 215 अभियुक्तों पर गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी तथा अपराधियों पर शिंकजा कसने के लिए अब तक 11 सक्रिय गिरोह के ऊपर गैंग पंजीकरण की कार्यवाही की गयी है।

इस अवसर पर जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, निरीक्षक प्रज्ञान, पी0आर0ओ0 पुलिस अधीक्षक, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/शाखा प्रभारी व पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.11.2025

यातायात माह के अन्तर्गत गोण्डा पुलिस द्वारा स्वामी विवेकानन्द इण्टर कालेज में व्यापक यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में यातायात माह–नम्बर 2025 के अंतर्गत जनपद में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन हेतु निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 19.11.2025 को क्षेत्राधिकारी यातायात श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में स्वामी विवेकानन्द इण्टर कालेज में एक विशेष यातायात जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में टीएसआई राकेश सिंह द्वारा कॉलेज के लगभग 350 छात्र–छात्राओं को सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। छात्रों को यातायात संकेतों की पहचान, हेलमेट एवं सीटबेल्ट के अनिवार्य उपयोग, ओवरस्पीडिंग और ओवरलोडिंग के दुष्परिणाम, मोबाइल फोन का वाहन चलाते समय प्रयोग न करने तथा पैदल चलते समय सड़क सुरक्षा के मानकों के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों द्वारा छात्रों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने एवं अपने परिवार तथा समाज के अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की गयी साथ ही बताया गया कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएँ नियमों की अनदेखी के कारण होती हैं, जिन्हें केवल सतर्कता और नियमों के पालन से रोका जा सकता है। यातायात माह के दौरान गोण्डा पुलिस द्वारा विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं जनसमुदाय के बीच इसी प्रकार के जन–जागरूकता कार्यक्रम आगे भी निरंतर रूप से आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे जनपद में सुरक्षित एवं अनुशासित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

महत्वपूर्ण संदेश–

01. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन अथवा इयरफोन का प्रयोग न करें।
02. नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाना पूर्णतः वर्जित है।
03. दोपहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठी सवारी दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
04. चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य है।
05. निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना व निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।
06. दायें–बायें मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करें।
06. दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी न बैठाएं।
07. वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें।
08. वाहनों के आगे एवं पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगाना आवश्यक है।
09. एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड वाहनों को जाने हेतु पहले रास्ता प्रदान करें।
10. नशे अथवा मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलाएं।
11. सड़क पर वाहन चलाते समय स्टंट न करें।
12. सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्तियों की मदद करें एवं 112 डायल कर सूचना दें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.11.2025

थाना छपिया पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का खुलासा, शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल व 12,980/– रू0 बरामद–

कार्यवाही

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना छपिया पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–411/25, 412/2025 से सम्बन्धित शातिर चोर– अजय पुत्र स्व. जगन्नाथ, निवासी खमरिया बुजुर्ग, थाना छपिया, जनपद गोण्डा को फूलपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 जोड़ी पायल, 02 जोड़ी बिछिया व 12,980/– नकद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 15.11.2025 की रात्रि अज्ञात चोरो द्वारा थाना छपिया क्षेत्रान्तर्गत सकदरपुर कम्पोजिट शराब की दुकान का शटर तोड़कर लगभग ₹5200 की शराब और काउंटर का सारा पैसा चोरी कर लिया गया तथा उसी रात अरुण सोनी की जमुनहा बाजार स्थित ज्वेलरी की दुकान का ताला और शटर तोड़कर, कमरे के अंदर रखी सोने/चांदी की ज्वेलरी चोरी कर ली गयी थी। वादी करन कुमार व अरूण सोनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना छपिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना छपिया पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए शातिर चोर अजय पुत्र स्व. जगन्नाथ, निवासी खमरिया बुजुर्ग, थाना छपिया, जनपद गोण्डा को फूलपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 जोड़ी पायल, 02 जोड़ी बिछिया व 12,980/– नकद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त अजय पुत्र स्व० जगन्नाथ द्वारा बताया गया कि 15.11.2025 की रात वह अपने साथी ओम प्रकाश वर्मा के साथ मिलकर जमुनहा बाजार में अरुण ज्वैलर्स की दुकान से जेवरात तथा सकदरपुर की कंपोजिट शराब की दुकान से नकदी व शराब की चोरी की गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त –

01. अजय पुत्र स्व. जगन्नाथ, निवासी खमरिया बुजुर्ग, थाना छपिया, जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 02 जोड़ी पायल।
02. 02 जोड़ी बिछिया।
03. 12,980/– रू0 नकद।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–411/25 धारा 305ए,331(4),317(2) बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–412/25 धारा 305ए,331(4),317(2) बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. उ0नि0 धनश्याम वर्मा।
02. हे0का0 महेन्द्र प्रसाद।
02. का0 दिनेश यादव।
04. का0 शैलेष यादव।
05. का0 अरविन्द कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.11.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा अयोध्या राम मंदिर ध्वारोहण के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी आगमन के दृष्टिगत की गयी तैयारियों के सम्बन्ध में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों के साथ ही गयी गोष्ठी, सम्बन्धित को दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश–

गोण्डा। आज दिनांक 19.11.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स गोण्डा स्थित सभागार कक्ष में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों के साथ अयोध्या राम मंदिर ध्वारोहण के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन की तैयारियों को लेकर गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने, जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक सभी कदमों पर विस्तार से चर्चा की गई। महोदय द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बॉर्डर पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की सघन जांच की जाए, जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्थापन सुदृढ़ किया जाए तथा ड्रोन के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त होटल, ढाबों और कटरा रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा चेकिंग की व्यवस्था की जाए। महोदय द्वारा स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों को और अधिक सक्रिय रहकर कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सूचनाओं की जानकारी करने हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा बताया गया कि सभी तैयारियाँ समय पर पूरी की जाएँ और कार्यक्रम के दौरान जन सुरक्षा, कानून व्यवस्था और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए पूरी सतर्कता बरती जाए। बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों द्वारा महोदय के निर्देशों का पालन करने और निर्धारित सुरक्षा मानकों को लागू करने का आश्वासन दिया।

कार्यक्रम के दृष्टिगत दिनांक 23.11.2025 की रात्रि 23:00 बजे से दिनांक 26.11.2025 की रात्रि 20:00 बजे तक जनपद गोण्डा से अध्योधा की तरफ जाने वाले मालवाहक वाहन, ट्रक, ट्रैक्टर व डीसीएम का लकड़मण्डी से लोलपुर से बस्ती की ओर **रूट डायवर्जन** किया गया है।

इस अवसर पर जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, निरीक्षक प्रज्ञान, पी0आर0ओ0 पुलिस अधीक्षक, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/शाखा प्रभारी व पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

रूट डायवर्जन—

माo प्रधानमंत्री भारत सरकार के अयोध्या राम मंदिर ध्वारोहण कार्यक्रम के अवसर पर भीड़ नियंत्रण/यातायात व्यवस्था/सुदृढ सुरक्षा व्यवस्थआ बनाये रखने के उद्देश्य से पुराना/नया सरयू पुल से जनपद अयोध्या की ओर जाने वाले भारी वाहनों (मालवाहक वाहन,ट्रक,ट्रैक्टर,डी0सी0एम0 आदि) का दिनांक—23—11—2025 को रात्रि 23.00 बजे से दिनांक—26—11—2025 को रात्रि 20.00 बजे तक अथवा भीड़ समाप्ति तक निम्नानुसार डायवर्जन कराया जाना प्रस्तावित है—

ऐसे भारी वाहन जिन्हें जनपद बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती व गोण्डा से चलकर नवाबगंज होकर जनपद अय़ोध्या,बस्ती, सन्तकबीर नगर, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर आदि को जाते है उन्हें पुलिस चौकी दर्जीकुँआ से ही मोतीगंज—मनकापुर मार्ग होते हुए अपने गन्तव्य को प्रस्थान कराया जायेगा । जनपद बस्ती,संतकबीर नगर,गोरखपुर व अम्बेडकर नगर जाने हेतु निम्न मार्गों से डायवर्ट कराया जायेगा—

रुट—ए— जो वाहन जनपद बहराइच,बलरामपुर श्रावस्ती व गोण्डा से होते हुए नवाबगंज के रास्ते अयोध्या, गोरखपुर,बस्ती, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर को जायेगे ऐसे सभी वाहनों को दर्जीकुआँ तिराहा (थाना को0 देहात क्षेत्र) से डायवर्ट कर झिलाही रेलवे क्रासिंग होते हुए मनकापुर—उतरौला रोड, डुमरियागंज होकर गन्तव्य को प्रस्थान कराया जायेगा।

रुट—बी— जो वाहन जनपद बलरामपुर व गोण्डा से होते हुए नवाबगंज के रास्ते अयोध्या, गोरखपुर,बस्ती, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर को जायेगे ऐसे सभी वाहनों को दर्जीकुआँ तिराहा (थाना को0 देहात क्षेत्र) से डायवर्ट कर मोतीगंज,मनकापुर,मसकनवाँ बाजार व बभनान होकर गन्तव्य को प्रस्थान कराया जायेगा।

रुट—सी— जो वाहन दर्जीकुआ से मोतीगंज—मनकापुर मार्ग पर डायवर्ट किये जायेंगे उन्हें आवश्यकता प्रतीत होने पर मनकापुर— कोल्हमपुर मार्ग होते हुए लोलपुर पुल की तरफ डायवर्ट कर जनपद बस्ती को प्रस्थान कराया जायेगा।
यदि कदाचित वाहन दर्जीकुआँ पुलिस चौकी व वजीरगंज होकर नवाबगंज पहुँचते है उन्हें अशोकपुर टिकिया थाना क्षेत्र वजीरगंज से मनकापुर की तरफ डायवर्ट कराया जायेगा। यदि फिर भी कोई वाहन कोल्डस्टोरेज तिराहा तक पहुँचता है तो उसे तरबगंज—परसपुर—कर्नलगंज होकर बाराबंकी के रास्ते गंतव्य को प्रस्थान कराया जायेगा।

जनपद बस्ती की ओर से चलकर अय़ोध्या को जाने वाले वाहनों को लोलपुर पुल से नवाबगंज गोण्डा की ओर डायवर्ट कर भेजा जायेगा ।

जनपद गोरखपुर—सं0क0न0—बस्ती से अयोध्या आने वाले वाहन थाना को0नगर (बस्ती) से कलवारी—टाण्डा मार्ग पर डायवर्ट होकर पूर्वांचल एक्सप्रेस—वे मार्ग का प्रयोग करेंगे ।

लखनऊ से चलकर बाराबंकी—जरवल रोड़ के रास्ते गोण्डा होकर गोरखपुर,बस्ती,सं0क0नगर को आने वाले वाहनों को कर्नलगंज बस स्टैण्ड चौराहे से परसपुर—नवाबगंज मार्ग पर डायवर्ट कर प्रस्थान कराया जायेगा तथा जनपद बलरामपुर,सिद्धार्थनगर को जाने वाले वाहनों को अम्बेडकर चौराहा थाना को0 नगर गोण्डा से मिश्रौलिया चौराहा होकर बडगाँव चौराहे के रास्ते प्रस्थान कराया जायेगा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.11.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा 06 घण्टे के अन्दर मोटरसाईकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण, चोर गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाईकिल बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0–927/25, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त–गौरव सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की हीरो स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 19.11.2025 को वादी अनूप कुमार शर्मा पुत्र श्री रामलाल शर्मा नि0 मुंडेरवा माफी थाना का0 इटियाथोक जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि प्रार्थी कोल्डस्टोरेज बहराइच रोड स्थित धुलाई सेंटर की दुकान पर गाड़ियों की धुलाई कर रहा था। धुलाई के दौरान अज्ञात चोर द्वारा उनकी स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल को चोरी कर लिया गया है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें 06 घण्टे के अन्दर को0 नगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए गोण्डा बहराइच रोड से चोर गौरव सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की हीरो स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. गौरव सिंह पुत्र विक्रम सिंह नि0 वीरपुर विसेन थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–927/2025, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद हीरो स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 सोनू कुमार।
02. हे0का0 सभाजीत।
03. का0 अमित तोमर।
04. का0 राजेश कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।